सत्यमेव जयते

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 185 **14 Falgun, 1939 (S)**

Ranchi, Monday, 5th March, 2018

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification

28th February, 2018

NOTIFICATION No-9/2018 State Tax (Rate)

S.O. No. 23 Dated - 5th March, 2018 -- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as “the said Act”) read with sub-section (3) of section 11 of the said Act, the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , on the recommendations of the Council, makes the following amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Department of Commercial Taxes, No. 45/2017- State Tax (Rate), dated the 14th November, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O 125, dated the 14th November, 2017, namely:-

In the said notification, -

(1) in the Table, -

(a) against serial number 1, -

(i) in column (2), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

"Public funded research institution or a University or an Indian Institute of Technology or Indian Institute of Science, Bangalore or a Regional Engineering College, other than a hospital";

(ii) in column (4), for the words "Department of Scientific and Research", the words "Department of Scientific and Industrial Research", shall be substituted;

(b) against serial numbers 2 and 4, in column (4), for the words "Department of Scientific and Research", the words "Department of Scientific and Industrial Research", shall be substituted.

(2) after the Table, the existing *Explanation* shall be numbered as *Explanation* 1 thereof and after Explanation 1 as so numbered, the following *Explanation* shall be inserted, namely: -

"*Explanation* 2. - For the the purposes of this notification, exemption would be in line with the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 51/96- Customs, dated the 23rd July, 1996, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 303(E), dated the 23rd July, 1996 and is applicable with effect from the 15th November, 2017.".

2. This notification shall be deemed to be effective from 25th January, 2018.

[File.No Va Kar / GST / 05/ 2018]
By the order of the Governor of Jharkhand,

K. K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum Commissioner.

Note: The principal notification No. 45/2017-State Tax (Rate), dated the 14th November, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O 125 dated the 14th November, 2017.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
28 फरवरी, 2018

अधिसूचना सं०. 9/2018- राज्य कर (दर)

एस. ओ- 23 दिनांक 5 मार्च, 2018-- झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (एतश्मिन पश्चात जिसे ''उक्त अधिनियम'' से संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप धारा (3) के साथ पठित, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 45/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 14 नवम्बर, 2017 जिसे एस. ओ. 125, दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,

(1) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 1 के समक्ष, -

(i) कॉलम (2) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा,यथा: -

''सरकार द्वारा वित्त पोषित कोई अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर या क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जो चिकित्सालय से भिन्न हों''

(ii) कॉलम 4 में, 'विज्ञान और अनुसंधान विभाग' शब्दों के स्थान पर 'विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 2 और 4 के समक्ष कॉलम (4) में,"विज्ञान और अनुसंधान विभाग" शब्दों के स्थान पर "विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग"शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

इस सारणी के बाद निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा :-

(2) सारणी के पश्चात, वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए स्पष्टीकरण 1 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"स्पष्टीकरण 2 - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए दी जाने वाली छूट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 51/96-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 1996, जिसे सा.का.नि. 303 (अ), दिनांक 23 जुलाई, 1996 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, की तर्ज पर ही होगी और यह 15 नवम्बर, 2017 से लागू होगी. ".

2. यह अधिसूचना 25 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/05/2018]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के० के० खण्डेलवाल,
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 45/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 14 नवम्बर, 2017 को एस. ओ.125, दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 185-- 50.